समक्ष श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी प्रकरण क्रमांक /2015

आवेदक	:	रामदास गौड़ आत्मज लल्लू गौड़ उम्र लगभग 70 वर्ष निवासी–मघई मंदिर रोड, कटनी तहसील व जिला–कटनी म.प्र.

विरूद्ध

अनावेदक	:	विनय कुमार गुप्ता आत्मज स्व. रामलखन गुप्ता उम्र लगभग 50 वर्ष निवासी–सिविल लाईन, कटनी, तहसील व जिला–कटनी (म.प्र.)

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

आवेदक निवेदन करता है कि :–

आवेदक माननीय अपर आयुक्त महोदय जबलपुर संभाग जबलपुर के राजस्व अपील क्र. 2अ/21/10–11 पक्षकारन रामदास गौड़ विरूद्ध विनय कुमार में पारित आदेश दिनॉक 20/06/14 से व्यथित होकर निम्न तथ्यों एवं आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत करता है :–

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि, आवेदक के द्वारा माननीय जिलाध्यक्ष कटनी के समा ग्राम झिझरी पटवारी हल्का नं. 29 में स्थित भूमि ख.नं. 135 रकवा 0.29 हे. भूमि स्वामी हक की भूमि के अलावा अ भूमि कृषि उपयोग अच्छी उपजाऊ बनाने के लिए उक्त व जमीन को विक्रय करने की अनुमति आवेदन पेश किया वि माननीय विचारण न्यायालय धारा 165 (6) भू राजस्व सं ... के अनुसार विक्रय की जारी भूमि व

रामदास विरूद्ध विनय कुमार

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 2896–एक/15

जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28.10.15	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया । यह प्रकरण भूमि के अंतरण हेतु अनुमति के संबंध में है । आदिवासी द्वारा गैर आदिवासी को भूमि विकय करना बताते हुए अनुमति हेतु आवेदन दिया उस पर से अधीनस्थ न्यायालय ने अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से जांच कराकर जांच प्रतिवेदन बुलवाया । जांच प्रतिवेदन में भूमि विकय की अनुशंसा की गई थी किंतु जिलाध्यक्ष ने आवेदन को अमान्य किया जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा की है । अपर आयुक्त ने यह पाया है कि आवेदक के पास मात्र 0.29 हैक्टर भूमि है । प्रश्नाधीन भूमि की स्थिति को देखते हुए यज बताया गया है कि यह भूमि व्यवसायिक उपयोग के लिए कय की जा रही है और इससे आदिवासी के हितों का संरक्षण न होकर उसकी परिवार में 5 सदस्य होते हुए जो भूमि बचेगी वह भरण पोषण के लिए पर्याप्त नहीं है और भूमि के संबंध में विकय संबंधी कोई अनुबंध पेश नहीं किया गयाहै । ऐसी स्थिति मे उसके हितों का संरक्षण न होना पाकर अपर आयुक्त ने अपील को निरस्त कियाहै । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई विधिक या सारवान त्रुटि नहीं है जिस कारण उसमें हस्तक्षेप किया जा सके । परिणामतः यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है । सदस्य	